गया है कि खसरा नम्बर 165 व 166 की मेड तोडकर दोनों नंबर मिले हुए हैं। आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 6 ऐयर कमलसिंह पुत्र गरीबा जाति जाटव निवासी बरवारा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें कमलसिंह का पक्का मकान बना हुआ है। आराजी खसरा नंबर 165 रकबा 0.06 ऐयर गैर–मुमकिन बंजड सिवायचक में खूबीराम पुत्र गरीबा जाति जाटव का मकान बना हुआ है। तथा डालचंद पुत्र गरीबा जाति जाटव झौपडी, घूरा, बिटौरा आदि डालकर अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ है साथ ही शिव परिवार मूर्ति विराजमान है। उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के अलावा खूबीराम दीनदयाल व कमलसिंह के भी हस्ताक्षर हैं। अतः वकील अपीलान्ट का यह कथन कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं है, सारहीन हो जाता है। इसी तरह विवादित भूमि पर पुरान कब्जा होने के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व बाडे हेतु भूमि आवंटन नियम 1961 के नियम 4 के तहत जहां तक भूमि आवंटित/नियमित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य न तो अदालत हाजा में ही और न ही दोनों अदालत मातहतों में ही प्रस्तुत किया गया है। इसलिए विवादित भूमि को बाडे हेतु आवंटित/नियमित किये जाने का निर्देश दिया जाना उचित नही है। चूंकि नायब तहसीलदार नदबई द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब पर पुनः पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद निर्णय दिनांक 22.09.2020 को पारित किया है जिसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। इसी प्रकार जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुए दिनांक 28.12.2021 को विस्तृत, स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय पारित किया है। इसलिए उक्त आदेश में भी हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2021 व नायब तहसीलदार नदबई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.01.2023.को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर